न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों का सद्भावपूर्वक किए गए शासकीय कार्य के लिए और वारण्ट और आदेशों के निष्पादन करने वाले अधिकारियों का वाद में अदायित्व ।

[1][न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850]

(1850 का अधिनियम संख्यांक 18)

[4 अप्रैल, 1850]

**न्यायिक अधिकारियों के
संरक्षण के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—मजिस्ट्रेटों और न्यायिक कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को अधिक संरक्षण देने के लिए, निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों का सद्भावपूर्वक किए गए शासकीय कार्य के लिए और वारण्ट और आदेशों के निष्पादन करने वाले अधिकारियों का वाद में अदायित्व—कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस, कलक्टर या न्यायिक कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या उसके द्वारा किए जाने के लिए आदिष्ट किसी कार्य के लिए, चाहे वह उसकी अधिकारिता की सीमा के भीतर है अथवा नहीं, वाद नहीं लाया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जब वह उस समय सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता था कि उसे परिवादित कार्य करने की अथवा उसके लिए आदेश देने की अधिकारिता है; और किसी न्यायालय का कोई अधिकारी या अन्य ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दि पीस, कलक्टर या न्यायिक कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के विधिपूर्ण वारण्ट या आदेशों को निष्पादित करने के लिए आबद्ध है तो यदि वह उसको जारी करने वाले व्यक्ति की अधिकारिता के भीतर है, तो उसके विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी वारण्ट या आदेश के निष्पादन के लिए जिसे वह निष्पादित करने के लिए आबद्ध है, कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा ।][2]

———

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया।

यह अधिनियम विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा अधिसूचित जिलों को छोड़कर भारत के सभी प्रान्तों पर प्रवृत्त घोषित किया गया।

संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में; खोण्डमाल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमाल जिले में; आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 द्वारा आंगुल जिले में और पंथ पिपलोदा विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) की धारा 2 द्वारा पंथ पिपलोदा में इस अधिनियम को प्रवृत्त घोषित किया गया।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में भी प्रवृत्त घोषित किया गया, अर्थात् :—

भद्राचलम् ताल्लुक, राका पिल्ली और रम्पा क्षेत्र.....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 630।
गंजम और विशाखापत्तनम के अनुसूचित जिले.....देखिए भारत का राजपत्र, 1898, भाग 1, पृष्ठ 870 और फोर्ट सेंट जार्ज राजपत्र, 1808, भाग 1, पृष्ठ 666।
हजारीबाग, लोहारडागा (अब जिला रांची, कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44, देखिए)
तथा मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में परगना दालभूम तथा कोल्हन.....देखिए भारत का राजपत्र, 1881, पृष्ठ 504।
पश्चिम जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की पश्चिमी पहाड़ियां (वैस्टर्न हिल्स), दार्जिलिंग तराई
और दार्जिलिंग जिले का दामसोन खण्ड.....देखिए भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 504।
कुमाऊं और गढ़वाल.....देखिए भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृष्ठ 605।
मिर्जापुर जिले का अनुसूचित भाग .....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 383।
जौनसर बाबर.....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 382।
लाहौल जिला.....देखिए भारत का राजपत्र, 1886, भाग 1, पृष्ठ 301।
मध्य प्रान्त के अनुसूचित जिले.....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 630।
कुर्ग.....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 747।
कामरूप, नौगांव, दारांग सिबसागर, लखीमपुर, गोलपारा (पूर्वी द्वारों को छोड़कर)
कछार (उत्तरी कछार हिल्स को छोड़कर) के जिले.....देखिए भारत का राजपत्र, 1878, भाग 1, पृष्ठ 633।
कछार जिले के गारो हिल्स, खासी और जयन्तियां हिल्स, नागा हिल्स, उत्तरी कछार हिल्स
और गोलपारा जिले के पूर्वी द्वार.....देखिए भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृष्ठ 299।
सिंहभूम जिले के पौरहट एस्टेट.....देखिए भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृष्ठ 1059।

इसका पिछले उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर विस्तार किया गया है, अर्थात् :—

आगरा प्रान्त की तराई.....देखिए भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृष्ठ 505।
अजमेर और मेरवाड़.....देखिए भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृष्ठ 380।

इसका नए प्रान्तों और विलीन राज्यों में भी विस्तार किया गया, देखिए 1949 का अधिनियम सं० 59।

मैसूर स्टेट ऐक्ट, 1955 (1955 का 14) द्वारा बेलारी जिले में इस अधिनियम का लागू किया जाना निरसित किया गया।

यह अधिनियम, 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह पर, 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर और अधिसूचना सं० का०आ० 268(अ); दिनांक 20-6-1975 द्वारा सिक्किम राज्य पर विस्तारित किया गया।

[2] न्यायाधीशों और लोक सेवकों के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन संस्थित करने की प्रक्रिया के लिए देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) की धारा 197 ।